राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

हाल ही में **राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना** के तहत अध्यन करने का अवसर प्राप्त करने वाले भारतीयों ने इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिये भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

- **परिचय:**
  - **राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना** एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। यह अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह योजना चयनित उम्मीदवारों को **स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम** और अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में सरकार अथवा उस देश के एक अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में विदेशों में **पीएचडी** करने हेतु **वित्तीय सहायता** प्रदान करती है। ।
  - प्रत्येक चयन वर्ष में इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के अनुरुप **125 नए पुरस्कार** दिये जाएंगे।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।**
- **आरक्षण:**
  - प्रत्येक वर्ष के पुरस्कारों का **30% महिला उम्मीदवारों के लिये निर्धारित** किया जाता है।
- **पात्रता:**
  - **योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक** या समकक्ष ग्रेड।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-overseas-scholarship-scheme